हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण में अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 21.09.2023 से हुआ है। परन्तु निर्णय की पालना के समय यह तथ्य सामने आया कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2011 के पेज नंबर 4 की दूसरी व सातवीं लाइन में खसरा नंबर 1442 रकबा 0.11 है. सही दर्ज है लेकिन निर्णय के अन्तिम पेज व अंतिम पेरा में खसरा नंबर 1442 के स्थान पर खसरा नंबर 1441 रकबा 0.71 है. लिपिकीय त्रुटि से लिखने में आ गया है। अतः निर्णय दिनांक 23.03.2011 के अन्तिम पेज व अंतिम पेरा में खसरा नंबर 1441 के स्थान पर खसरा नंबर 1442 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक प्रार्थीगण ने विधिक दृष्टांत 2014 DNJ (SC) 871 तथा RBJ (29) 2022 पृष्ठ 152 का अवलोकन करवाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस प्रार्थीगण पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 05/2006 बउनवान सीताराम बनाम छीतरलाल वगैरह अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में निर्णय दिनांक 23.03.2011 को पारित किया गया था। जिसे डिक्री की पालना हेतु निर्धारित समयावधि 12 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2011 में अब संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 05/2006 बउनवान सीताराम बनाम छीतरलाल वगैरह अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट निर्णय दिनांक 23.03.2011 के साथ संलग्न रहे। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:19 IST
Reason: SelfAttested